।। महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर।।

क्रमांकः— सामान्य / 22 / 2013 / 32693-792 दिनांकः— 22/10/13

—:: परिपत्र ::—

विषय :— मौखिक एवं दूरभाषिक आदेश / मार्गदर्शन की अभिलेखीय पुष्टि प्राप्त करने बाबत निर्देश ।

प्रसंग :— इस कार्यालय का आदेश क्रमांक सामान्य / 41491—592 दिनांक 24.01.2011

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के द्वारा अधीनस्थ अधिकारी द्वारा यदा—कदा तत्कालिक परिस्थितियों में यथा अवकाश प्रस्थान, मुख्यालय छोड़ने, बंदी अनुशासन, बंदी स्थानान्तरण आदि विशिष्ट मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त मौखिक अथवा दूरभाष पर निर्देश / मार्गदर्शन को संबंधित अभिलेख में अंकित कर एक सप्ताह की अवधि में पुष्टि प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था । (तत्काल सन्दर्भ हेतु प्रति सलंग्न है)

उक्तानुसार अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा दिशा—निर्देश जारी करने के उपरान्त भी प्रायः यह देखा जा रहा है कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा तत्कालिक परिस्थितियों में मौखिक / दूरभाषिक आदेश / मार्गदर्शन प्राप्त कर उसकी अभिलेखीय पुष्टि प्राप्त नहीं की जा रही है जो कि सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के नियमों के विरूद्ध है।

अतः पुनः एतद् द्वारा आदेश प्रदान किये जाते हैं कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से किसी तत्कालिक परिस्थिति में मौखिक / दूरभाषिक आदेश / मार्गदर्शन प्राप्त कर उसका किसी भी अभिलेख में अंकित करने पर एक सप्ताह के भीतर आवश्यक पत्रादि प्रेषित कर पुष्टि प्राप्त कर ली जावे।

निर्धारित अवधि में पुष्टि प्राप्त नहीं करने पर तथाकथित मौखिक / दूरभाषिक आदेश / मार्गदर्शन निरस्त माना जायेगा तथा निर्देशों की अवहेलना के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. उप महानिरीक्षक कारागार, रेन्ज, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर ।
2. समस्त अधीक्षक / उपाधीक्षक / प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय / जिला / उप कारागृह, राजस्थान।
3. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।

4. उपाधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर।
5. प्रभारी, युवा बाल बंदी सुधारगृह, जैतारण।
6. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, जयपुर।
7. वरिष्ठ निजी सहायक, अति. महानिदेशक कारागार, जयपुर।
8. प्रशासनिक अधिकारी, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
9. प्रभारी, कम्पयूटर शाखा, महानिदेशालय कारागार, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को अविलम्ब विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।
10. रक्षक पत्रावली ।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर।